राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1484 SEIAA/2022
Date: 26/8/22

प्रति,

The Executive Engineer,
Office of the Executive Engineer,
Water Resources Division,
Dist. Khandwa (MP)

विषयः **प्रकरण कमांक 9061/2022 :** Environment Clearance for Aulliya Medium Irrigation Project at Village Roshani/Aulliya, Distt. - Khandwa, (M.P.) CCA – 5000 ha The Executive Engineer, Office of the Executive Engineer, Water Resources Division, Dist. Khandwa, (MP,) Env. Consl.: M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 742वी बैठक दिनांक 18.08.2022 में लिये निर्णय अनुसार कार्यवाही बावत्।

SEIAA की 740वीं बैठक दिनांक 30.07.2022 के निर्णयानुसार प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करते हुये बैंक गारंटी राशि रू. 268.29 लाख तथा जुर्माना राशि रू. 32.133 लाख जमा करने हेतु SEIAA पत्र क्र. 1352 दिनांक 08.08.2022 के माध्यम से सूचित किया गया था, जिसके संदर्भ में दिनांक 17.08.2022 को ई–मेल के माध्यम से कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, खंडवा का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किया गया है–

1. *जुर्माना राशि रू. 32.133 लाख किस बैंक खाते में जमा किया जाना है, उस खातें की जानकारी।*
2. *बैंक गारंटी के संबंध में जल संसाधन विभाग के पास कोई ब्रैंक खाता संचालित नहीं हैं, जिसके माध्यम से बैंक गारंटी बनवाकर प्रस्तुत की जा सके। बैंक गारंटी के स्थान पर विभागीय अनापत्ति पत्र मान्य करने हेतु निवेदन किया है।*
3. *MPPCB द्वारा Credible Action की कार्यवाही अपेक्षित है।*

उक्त के संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है कि Remediation Plan हेतु बैंक गारंटी की राशि एवं जुर्माना राशि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देशित एवं SEIAA की 740वीं बैठक दिनांक 30.07.2022 में निर्णित SOP में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

प्राधिकरण के निर्णयानुसार SOP में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव